(चावल के हिसाब से धान सहित) की निम्नलिखित मात्राएं वसूल की गई हैं :—

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

एजेन्सी	गेहूं	चावल
भारतीय खाद्य निगम	18	—
राज्य एजेंसियां	401	243
सहकारी संघ	61	—
उपभोक्ता सहकारी संघ	17	—
जोड़	497	243

(ख) वर्तमान रबी विपणन मौसम 1992-93 के दौरान गेहूं का वसूली मूल्य 275/- रुपये प्रति क्विंटल था जिसमें 250/- रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा पहली अप्रैल से 30 जून, 1992 तक अदा किया गया 25/- रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस शामिल है।

धान की साधारण किस्म के लिए 270/- रुपये प्रति क्विंटल बढ़िया किस्म के लिए 280/- रुपये प्रति क्विंटल और उत्तम किस्म के लिए 290/- रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए लेवी चावल की सुपुर्दगी हेतु चावल मिल मालिकों को देय लेवी चावल के वसूली मूल्य साधारण किस्म के लिए 441.30 रुपये प्रति क्विंटल, बढ़िया किस्म के लिए 456.50 रुपये प्रति क्विंटल और उत्तम किस्म के लिए 482.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 28-12-1991 से प्रभावी गेहूं और चावल के वर्तमान केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से) देश भर में एक-समान हैं और वे इस प्रकार हैं :—

(रुपये प्रति क्विंटल)

गेहूं	चावल		
	साधारण	बढ़िया	उत्तम
280.00	377.00	437.00	458.00

केन्द्रीय निर्गम मूल्य भारतीय खाद्य निगम की इकनामिक लागत से कम निर्धारित किए जाते हैं और इस वजह से सरकार को भारी मात्रा में खाद्य राज सहायता वहन करनी पड़ती है। अतः इससे सरकार द्वारा मुनाफा कमाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सुधार

1840. श्री राम नरेश यादव : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में कतिपय सुधार करने की सिफ़ारिश की थीं ;

(ख) यदि हां तो सरकार ने इस सिफ़ारिशों पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन सिफ़ारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) : जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया था। सरकार ने इस समिति की सिफ़ारिशों की जांच की है। अव्यवहार्य पाई गई कुछेक सिफ़ारिशों को छोड़कर अधिकांश सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।

चीनी मिलों के लिए नए दिशा-निर्देश

1841. श्री राम सिंह राठवा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चीनी मिलों के संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां तो इन दिशा-निर्देशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) नई चीनी मिल लगाने/मौजूदा क्षमताओं में विस्तार के

संबंध में दिनांक 8-11-91 के प्रेस नोट के तहत जारी लाइसेंस, नीति संबंधी मार्ग-दर्शी सिद्धांतों के अतिरिक्त राज्य सरकारों को कोई नए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए गए हैं। 8-11-91 के प्रेस नोट के तहत जारी उपर्युक्त मार्ग दर्शी सिद्धांत विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

भारत सरकार

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

प्रेस नोट सं० —16

(1991 शृंखला)

विषय :-(चीनी वर्ष 1991-92 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93—1996-97) के लिए नई चीनी फैक्ट्रियों तथा मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार हेतु लाइसेंस देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।

क. इस मंत्रालय के दिनांक 23-7-90 के प्रेस नोट सं० 4 (1990 शृंखला) के तहत नई चीनी फैक्ट्रियों तथा मौजूदा फैक्ट्रियों में विस्तार के लिए लाइसेंस देने हेतु जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों की भारत सरकार द्वारा समीक्षा की गई है। उपरोक्त प्रेस नोट का अधिक्रमण करते हुए संशोधित मार्ग-दर्शी सिद्धांत निम्न प्रकार बनाए गए हैं :—

(1) 2500 टन दैनिक गन्ना पेराई की न्यूनतम आर्थिक क्षमता की नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए जाने जारी रहेंगे। ऐसी क्षमता पर कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी।

तथापि भारत सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े घोषित और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि जलवायु आधार पर गन्ना विकास के लिए उपयुक्त प्रमाणित किए गए क्षेत्रों में सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में 1750 टी० सी० डी० की प्रारंभिक क्षमता की नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए जायेंगे बशर्ते कि ये इकाईयां उत्पादन प्रारंभ करने के 5 वर्ष के भीतर अपनी क्षमता में 2500 टी०सी०डी० तक विस्तार कर लें।

(2) नई चीनी फैक्ट्रियों को इस शर्त पर लाइसेंस जारी किए जायेंगे कि प्रस्तावित नई चीनी फैक्ट्री तथा मौजूदा/पहले लाइसेंस दी गई चीनी फैक्ट्री के बीच की दूरी 25 कि० मी० होनी चाहिए। विशेष मामलों में जहां गन्ना पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो, 25 कि० मी० की दूरी को कम करके 15 कि० मी० किया जा सकता है।

(3) नई चीनी इकाइयों के लिए लाइसेंस प्रदान करने का मूल मानदण्ड उनकी व्यवहार्यता होगा जिसमें मुख्य रूप से गन्ना उपलब्धता और गन्ना विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखा जायेगा।

(4) सभी नए लाइसेंस इस अनुबद्धता पर दिए जायेंगे कि गन्ने की कीमत सुक्रोज तत्वों के आधार पर देय होगी।

(5) अन्य बातों के समान रहने पर निजी क्षेत्र की तुलना में क्रमशः सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों को लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जायेगी।

किसी क्षेत्र से एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में पहले प्राप्त हुए आवेदन पत्र को वरीयता दी जायेगी। ऐसे मामलों में क्रमशः सरकारी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र तथा इसके बाद निजी क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी चाहे पहले दो क्षेत्रों के आवेदन पत्र बाद की तारीख में प्राप्त हुए हों।

(6) 2500 टी० सी० डी० से कम क्षमता वाली चीनी फैक्ट्रियों को उपर्युक्त न्यूनतम आर्थिक क्षमता तक विस्तार के लिए वरीयता दी जानी जारी रहेगी।

(7) नई इकाइयों और विस्तार परियोजनाओं के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त अर्थात 1996-97 तक सृजित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(8) नई चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय शीरे के प्रयोग अर्थात औद्योगिक अल्कोहल आदि के लिए डाउन स्ट्रीम इकाइयों को औद्योगिक लाइसेंस शीघ्रता से दिए जायेंगे ।

ख. लाइसेंस के लिए आवेदन पत्रों की सर्वप्रथम खाद्य मंत्रालय की जांच समिति द्वारा जांच की जायेगी । ऐसे आवेदन पत्रों की जांच करते समय संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के विचार भी मांग जायेंगे । राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन को अपनी टिप्पणी खाद्य मंत्रालय से प्राप्त पत्र के तीन मास के भीतर भेजनी होगी ।

ग. नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना तथा वर्तमान इकाइयों में विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र फार्म आई० एल० में सीधे औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को भेजें जाने चाहिए । इसके साथ 2500 रुपये की निर्धारित फीस भी भेजी जानी चाहिए । इसकी एक प्रति खाद्य मंत्रालय को भी भेजी जाय ।

घ. उपरोक्त प्रक्रिया और मार्गदर्शी सिद्धांत उद्यमियों के ध्यान में सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए लाए जा रहे हैं ।

ह०/-

एस० भवानी

उप सचिव, भारत सरकार

एफ सं 10-74-91-एल० पी० नई दिल्ली, 18 नवम्बर 1991

उपरोक्त प्रैस नोट को विषय वस्तु व्यापक प्रचार के लिए प्रैस सूचना कार्यालय को अग्रेषित :-

प्रधान सूचना अधिकारी,
प्रधान सूचना कार्यालय,
नई दिल्ली

चीनी और गेहूं का आयात

1842. **श्री चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान विदेशों से कितनी मात्रा में चीनी और गेहूं का आयात किया गया और इसका मूल्य कितना था, और

(ख) विदेशों से चीनी और गेहूं का आयात किए जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) पिछले वर्ष अर्थात 1991-92 के दौरान विदेश से गेहूं तथा चीनी का कोई आयात नहीं किया गया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Contribution of States for Foodgrains in the Central Pool

1843. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) the names of the States which are regularly contributing foodgrain supply to the Central pool;

(b) what was the contribution of these States in the years 1990-91 and 1991-92; and

(c) whether Tamil Nadu is supplying foodgrains to the stock of Central pool if so, what is the quantity of foodgrains supplied by Tamil Nadu in the year 1989-90, 1990-91 and 1991-92 ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI) : (a) Punjab, Haryana Uttar Pradesh, Rajasthan, Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, West Bengal and Union Territory of Chandigarh are the regular contributors of foodgrains to the Central pool.

(b) A statement showing state-wise quantities of foodgrains procured during the 1990-91 and 1991-92 marketing seasons is attached. (See below).

(c) Tamil Nadu does not contribute foodgrains to the Central Pool.